(18)

संख्याः 235 /XI/2012/ 56(10)2009

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 01 मई फरवरी 2012

विषयः– केन्द्र सहायतित योजना ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना'' के केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2868/5–लेखा–77/एन.आर.इ.जी.ए./बजट/2011–12 दिनॉक 1.12.2011, पत्र संख्या 3299/5– लेखा–77/ एन.आर.इ.जी.ए./बजट/2011–12 दिनॉक 4.1.2012, पत्र संख्या 3585/5– लेखा–77/एन.आर.इ.जी.ए./बजट/2011–12 दिनॉक 8.1.2012 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 945 /X1/2011/56(10)/2009 दिनॉक 30.5.2011, शासनादेश संख्याः 807/X1/ 2011 /56(10) /2009 दिनॉक 18.7.2011 एवं शासनादेश संख्याः 1483/X1/2011/56(10)/2009 दिनॉक 28.9.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन केन्द्र सहायतित योजना ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना'' के सुचारू कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2011–12 में **रू0 1289.68 लाख (रू0 बारह करोड नवासी लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि** आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त कार्यक्रम एवं व्यय संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद हेतु केन्द्रांश की स्वीकृति आदेश के उपरान्त, धनराशि की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा एवं राज्यांश की धनराशि नियमानुसार व्यय किये जाने का उनका दायित्व होगा।
2. राज्यांश की धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

क्रमशः 2

4. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रांश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यॉश की देयता अवशेष हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

5. उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैन्युवल, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय उन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों पर ही किया जायेगा।

8. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. उपरोक्त प्रस्तर–01 से 09 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग दिनांक 31.3.1012 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. गत वर्ष की अवशेष धनराशि सहित कुल उपलब्ध धनराशि का व्यय/ उपयोग शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा ।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या –19 के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –800– अन्य व्यय –01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –0110– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु राज्यांश –42 अन्य व्यय से रू0 993.06 लाख, अनुदान संख्या –30 के**

क्रमशः 3

लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –800– अन्य व्यय –02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंन्ट प्लान–0207– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना –20 सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता से रू0 245.03 लाख तथा अनुदान संख्या –31 के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना –01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –0106 –राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योाजना –42 अन्य से रू0 51.59 लाख वहन किया जायेगा तथा उपरोक्त सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 385(P)/2012/वित्त 4/2012 दिनांकः 22 फरवरी 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)

सचिव।

संख्याः 235 /XI/2012/56(10)2009 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– नियोजन विभाग/वित्त विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव ।